

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
नई दिल्ली

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD
NEW DELHI

सेवा विनियम

SERVICE REGULATIONS

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड: नई दिल्ली

सेवा विनियम
सामान्य

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 81 (16) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित विनियम बनाए हैं-

"स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन सेवा विनियम"

1. शीर्षक

इन विनियमों को "स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन सेवा विनियम" कहा जाएगा।

2. प्रारंभ

ये विनियम जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. परिभा-गाएं

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

- क) "कार्पोरेशन" का अर्थ है स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।
- ख) "मण्डल" का अर्थ है कार्पोरेशन का निदेशक मण्डल।
- ग) "विनियम" का अर्थ है "स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन सेवा विनियम"।
- घ) "अध्यक्ष/कार्यकारी निदेशक/निदेशक" के वही अर्थ होंगे जो कार्पोरेशन के अंतर्नियमों में परिभान्नित किए गए हैं।
- ड.) "क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधक" का अर्थ है क्षेत्रीय शाखा कार्यालय के मामलों की व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधक के रूप में नियुक्त व्यक्ति।
- च) "सचिव" का अर्थ है कार्पोरेशन का सचिव।
- छ) मुख्य वित्त प्रबंधक का अर्थ है कार्पोरेशन का मुख्य वित्त प्रबंधक।

- ज) "कर्मचारी" का अर्थ है कार्पोरेशन के मामलों के संबंध में सेवा या पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति किन्तु कार्पोरेशन के नियंत्रणाधीन किसी फैक्ट्री अधिनियम, 1984 के प्रावधान लागू होते हैं सिवाय इसके कि बोर्ड एक विशेष प्रस्ताव द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों सहित इन नियमों को लागू करे ।
- झ) "सेवा" का अर्थ है कार्पोरेशन के मामलों के संबंध में सेवा ।
- ञ) "कार्यालय" में मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय, उप शाखा कार्यालय, कोई एजेंसी या डिपो, व्यापार कार्यालय और शो-रूम या कोई अन्य कार्यालय शामिल हैं जिन्हें कार्पोरेशन भारत में कहीं भी या अन्यत्र स्थापित कर सकता है ।
- ट) "अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी" का अर्थ है चिकित्सा प्रमाणपत्र या रिपोर्ट जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन अनुमोदित या मुख्य कार्मिक प्रबंधक/शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित डाक्टर ।
- नोट:** ऊपर परिभानित नहीं किए गए शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ हैं, संदेह की स्थिति में वही होंगे जो भारत सरकार के मौलिक नियमों और अनुपूरक नियमों में दिए गए हैं ।

4. विस्तार

ये विनियम कार्पोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा कार्पोरेशन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को परिभानित करने के लिए बनाए गए हैं जिसमें उनके वेतन व भत्ते शामिल हैं और ये कार्पोरेशन के रोजगार में प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे ।

अपवाद

कर्मचारी, केन्द्र या राज्य सरकार या राज्य आधीन उपक्रम, जिनकी सेवाएं बाहरी सेवा के अन्तर्गत कार्पोरेशन के ऊपर छोड़ दी गई हैं, वे ऐसी शर्तों से बंधे होंगे जो इस उद्देश्य के लिए बनाई गई होंगी ।

- 1) बोर्ड किसी भी कर्मचारी के बारे में, अभिलिखित कारणों के लिए इनमें से किसी विनियम के लागू होने को छोड़ सकता है या परिवर्तित कर सकता है ।
- 2) इस विनियमावली के विरुद्ध अन्यथा न जाने तक कार्पोरेशन के कर्मचारी की सेवा की शर्त व नियम, उनकी वेतनवृद्धि, अवकाश व अवकाश वेतन, नौकरी में आने का वेतन, यात्रा व अन्य भत्ते तथा सम्बद्ध मामले भारत सरकार के मूलभूत व अनुपूरक नियमों के द्वारा

संचालित किये जाएंगे, जिनमें भारत सरकार के आदेश व निर्णय लेखा परीक्षा अनुदेश व लेखा परीक्षा नियम (समय समय पर भारत सरकार के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक द्वारा जारी किए गए) शामिल हैं ।

- 4(ए) समय समय पर संशोधित एसटीसी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमों में निर्धारित अनुशासनिक कार्रवाई व दण्ड तथा इसी प्रकार के अन्य नियम जो इस संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं - कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

5. प्रत्यायोजन

बोर्ड, प्रस्ताव द्वारा इन विनियमों में अपनी किसी भी शक्ति को अध्यक्ष/कार्यकारी निदेशक/या अन्य किसी अधिकारी को प्रदान कर सकता है । अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, मण्डल के अनुमोदन सहित कार्पोरेशन के किसी अधिकारी को लिखित प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों सहित अपनी कोई शक्तियां प्रदान कर सकता है । प्रत्यायोजित शक्तियां बोर्ड के प्राधिकरण या संकल्प में निर्धारित ऐसी शर्तों और सीमाओं के होने पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं ।

6. भर्ती के नियम

पद के वर्गीकरण, वेतनमान, वरि-ठता तथा अन्य वि-नयों आदि के वि-नय में समय-समय पर संशोधित कार्पोरेशन के भर्ती के नियम कार्पोरेशन के कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

7. पदों का सृजन, चयन और नियुक्तियां

- 1) कार्पोरेशन की मांग के अनुक्रम में बोर्ड समय-समय पर पदों का सजून कर सकता है और प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक पद का वेतनमान या श्रेणी या पदों की संख्या निर्धारित करता है । सभी उपलब्ध उपयुक्त उम्मीदवारों के मामले पर विचार करने के बाद नियुक्तियां की जाएंगी । एक उचित प्रकार से गठित चयन समिति उम्मीदवारों पर विचार करके उनकी नियुक्ति की सिफारिश करेगी ।
- 2) नए कार्मिकों की भर्ती, और चयन तथा विभागीय उम्मीदवार की पदोन्नति का विशि-ट कार्य करने वाली चयन समिति (कार्मिक समिति के रूप में) की संरचना निम्न होगी:-

(हठा दिया गया भाग, समय-समय पर लागू शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के संदर्भ में देखा जाए)

- 3) कार्पोरेशन में रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु आवेदन सामान्यतया भारत के कुछ प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा और सरकारी रोजगार कार्यालय के द्वारा भी आमंत्रित किये जाने चाहिए ।

8. वित्त से परामर्श

मुख्य वित्त प्रबंधक से उन सभी मामलों में परामर्श लिया जाएगा जहां न्यूनतम वेतनमान से भिन्न एक उच्चतर स्थिति में वेतन निर्धारण प्रस्तावित है ।

9. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

किसी भी व्यक्ति को तब तक नौकरी में नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर या उससे पहले अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी या अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर एक चिकित्सा प्रमाणपत्र कार्पोरेशन को नहीं भेज देता है । सिवाय इसके कि बोर्ड विशेष परिस्थितियों में श्रेणी । और श्रेणी ॥ से सम्बद्ध कर्मचारी के मामले में इस नियम के प्रचालन में और चेयरमैन श्रेणी ॥। व । के किसी कर्मचारी के मामले में छूट दे ।

स्पष्टिकरण:- निम्नलिखित नियुक्तियों के मामले में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाएगा:-

- क) कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय या राज्य सरकार का स्थायी कर्मचारी ।
- ख) अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिसकी पहले ही चिकित्सा जांच की जा चुकी है यदि कार्पोरेशन में बगैर किसी अंतराल के स्थानांतरित कर दिया जाता है, सिवाय इसके कि जिस मुख्यालय से उसका स्थानांतरण किया जाता है वह इस आशय का प्रमाण दे कि कर्मचारी ने अपेक्षित स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाणपत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।
- ग) श्रेणी । ॥ और ॥। के पदों की रिक्तियों पर अस्थायी रूप से 3 महीनों से अनधिक हेतु नियुक्त व्यक्ति
- घ) श्रेणी IV के पदों पर 6 महीने से कम की अवधि के लिए नियुक्ति/नियुक्त व्यक्ति
- च) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात बगैर किसी अंतराल के पुनः नौकरी में लिया जाता है ।

10. एकाधिक विवाह पर प्रतिबंध

कार्पोरेशन में सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति एक घो-न्णा पर हस्ताक्षर करेगा कि विवाह के पश्चात उसके एक ही पत्नी होगी तथा कि वह कार्पोरेशन से उचित अनुमति के बगैर दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे उस पर लागू निजी कानून के अधीन इस प्रकार के विवाह की अनुमति हो। इसी प्रकार एक महिला कर्मचारी इस आशय की एक घो-न्णा पर हस्ताक्षर करेगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसके उसकी नियुक्ति के समय एक या एकाधित जीवित पत्नी है।

11. परिवीक्षा

क) किसी भी पद पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती और किसी पद से किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किए गए व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिसे नियुक्त प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है तथा नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के अधीन उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय बगैर किसी नोटिस या कोई कारण बताए बगैर पदावनत किया जा सकता है।

नोट:- नियुक्ति प्राधिकरण पूर्ण रूप से अस्थायी नियुक्तियों के मामले में, जहां परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक ही नहीं है, नियुक्ति प्राधिकरण परिवीक्षा के संबंध में उपरोक्त प्रावधान को रद्द कर सकता है तथा इस प्रकार का कर्मचारी बगैर किसी नोटिस के किसी भी समय पदावनत या सेवा की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया गया व्यक्ति एक महीने के नोटिस पर नौकरी छोड़ने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति कार्पोरेशन की नौकरी छोड़ना चाहता है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को एक महीने का नोटिस लिखित में देगा या एक महीने से कम की अवधि के वास्तविक नोटिस हेतु अपने वेतन के समकक्ष रोकड़ मुआवजा देगा यदि नियुक्ति प्राधिकरण विशेष-परिस्थितियों में नोटिस की शर्तों में आंशिक या पूर्ण रियायत देता है।

कार्पोरेशन किसी भी कर्मचारी की सेवाएं बगैर किसी नोटिस के उन्हीं दरों पर जो वह सेवा की समाप्ति के पहले प्राप्त कर रहा था, उसके वेतन व भत्तों के समकक्ष की राशि का भुगतान करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

12. वरि-ठता

प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के संबंध में वरि-ठता भर्ती नियमों के प्रावधान के अनुसार निश्चित की जाएगी। एक ग्रेडेशन सूची तैयार की जाएगी तथा समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा व मुख्य कार्मिक प्रबंधक द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।

13. सेवा से त्यागपत्र, निलंबन या सेवाएं समाप्त करना:

- क) कोई भी कर्मचारी जिसने अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है, दो महीने का नोटिस अग्रिम रूप से दिए बगैर कार्पोरेशन की सेवा से अपना त्यागपत्र नहीं दे सकेगा। कर्मचारी द्वारा उपयुक्त नोटिस न दिये जाने पर कार्पोरेशन को यह उस अवधि के लिए अपने वेतन के समकक्ष मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।

किसी भी कर्मचारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र उस समय तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक कि कार्पोरेशन द्वारा यह स्वीकृत नहीं कर लिया जाता व स्वीकृति की सूचना कर्मचारी को नहीं मिल जाती। कार्पोरेशन को कर्मचारी को लिखित में बता दिये गए कारणों हेतु उसके त्यागपत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा जहां संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है या विलम्बित है।

- ख) किसी भी ऐसे कर्मचारी को बगैर किसी नोटिस या वेतन के नौकरी से अलग किया जा सकता है जिसे अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से आगे सेवाएं जारी रखने के संबंध में असमर्थ घोनित कर दिया गया है इस संबंध में इस नियमावली का कोई भी नियम कार्पोरेशन के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के मत के खिलाफ अपील की जा सकती है बशर्ते कि एक महीने की अवधि के भीतर जारी की गई हो। कार्पोरेशन द्वारा यह अपील उसके निर्णय के अनुसार किसी चिकित्सा प्राधिकरण को भेज दी जाएगी तथा इस प्रकार के चिकित्सा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

- ग) कोई भी कर्मचारी जिसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतो-न्जनक रूप से पूरी कर ली है, निलम्बित नहीं किया जा सकता सिवाए इसके कि:-

- क) एसटीसी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम में निर्धारित परिस्थितियों या पद्धति में
ख) जब संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण प्रमाणित करे कि उपलब्ध पदों की संख्या में इस प्रकार के कर्मचारियों हेतु कटौती की गई है जिन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो।

बशर्ते कि इस प्रकार के किसी कर्मचारी को उस समय तक प्रखण्ड (ख) के अधीन निलम्बित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसी ग्रेड का कोई पद व उसी नियुक्ति प्राधिकरण के अधीन किसी अन्य उससे कनिठ कर्मचारी द्वारा सभाले रखना जारी रहता है।

आगे बशर्ते कि इसके साथ ही जब किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं खण्ड (ख) के अधीन समाप्त की जाती हैं जिसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उसे तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा तथा यदि किसी मामले मे इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाता है तो इस प्रकार के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से उसे उन्हीं दरों पर उसके वेतन व भत्तों के समकक्ष राशि दी जाएगी जो वह अपनी सेवाएं समाप्त किये जाने की अवधि से पहले प्राप्त कर रहा था जिसमें कि उसको तीन महीने का नोटिस नहीं दिया गया। यदि कर्मचारी आनुतोनिक का अधिकारी है तो इस प्रकार का आनुतोनिक उन्हें उस अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा जब उन्हें नोटिस के एवज में कोई राशि दी गई है।

घ) इस नियम में प्रयुक्त किया गया "माह" शब्द ग्रॉगेरियन कैलेण्डर के संदर्भ में समझा जाएगा तथा उस दिन से प्रारंभ माना जाएगा जब कर्मचारी द्वारा या कार्पोरेशन द्वारा, जैसा भी मामला, नोटिस दिया जाता है।

13 ए कार्पोरेशन में प्रबंधक ग्रेड-जैसे उप विपणन प्रबंधक ग्रेड-II (या समकक्ष) तथा ऊपर की स्थिति में 21 मार्च, 1975 को या उसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों के संबंध में नियम 13 में निहित के बावजूद, कार्पोरेशन को किसी भी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि संतो-जनक ढंग से पूर्ण कर लेने के पश्चात बगैर कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस या उसके एवज में वेतन देते हुए निलम्ब का अधिकार होगा। इसी प्रकार, इस प्रकार का कर्मचारी, अपनी परिवीक्षा संतो-जनक रूप से पूर्ण कर लेने के पश्चात तीन महीने का नोटिस या उसके स्थान पर वेतन देकर अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे सकता है।

किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने की शक्ति सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगी तथा संबंधित कर्मचारी की निजी फाईल मे लिखित रूप से दर्ज किये गए कारणों पर विचार करते हुए चेयरमेन की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

14. सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी वाणिज्यिक संगठनों में नियुक्ति पाने वाले उच्चस्तर के अधिकारियों पर प्रतिबंध ।

14.1 कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले मुख्य अधिकारियों सहित कोई भी कार्यरत निदेशक सेवानिवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष तक किसी भी फर्म या कंपनी में चाहे वह भारतीय या विदेशी हो, जिसके साथ कंपनी के व्यावसायिक संबंध हैं या थे, उसमें सलाहकार या प्रशासनिक स्तर पर कोई भी नियुक्ति या पद सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर स्वीकार नहीं करेगा । सेवानिवृत्ति संदर्भ में त्यागपत्र शामिल है किन्तु वे मामले शामिल नहीं हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा, प्रमाणित कदाचार के अलावा अन्य कारणों से नहीं बढ़ाई गयी । व्यावसायिक संबंध में कार्यालयी लेनदेन शामिल है ।

14.2 ऐसे मुख्य अधिकारियों सहित कार्यरत निदेशक जो अधिवर्षिता या त्यागपत्र के पश्चात ऐसी निजी वाणिज्यिक फर्मों में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिल सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर रोजगार स्वीकार करते हैं जिनसे कंपनी के व्यावसायिक संबंध हैं या थे तो इसके बाद से उन्हें सीपीएसई के पूर्ण कार्मिक/अंशकालिक निदेशक नियुक्त किये जाने से वंचित कर दिया जाएगा ।

14.3 मुख्य अधिकारियों सहित कार्यरत निदेशक अपनी नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के समय रूपए 3.50 लाख का एक बांड प्रस्तुत करेगा जो उपर्युक्त पैरा 14.1 व 14.2 में लगाए गए प्रतिबंधों का किसी प्रकार का उल्लंधन करने पर प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा देय होगा ।

15. सेवा-निवृत्ति

- (क) विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी सामान्यतया माह के अंतिम दिन की दोपहर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो जाएगा । तथापि यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि माह की पहली तारीख है तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्व माह के अंतिम दिन की दोपहर को सेवानिवृत्त हो जाएगा ।
(ख) अधिवर्षिता की आयु के परे सेवा में विस्तार पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा ।

इस नियमावली मे ऊपर उल्लेखित के बावजूद जिस कर्मचारी ने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है या विलम्बित है या प्रारंभ कर दी गई वह कार्पोरेशन को तीन महीने का नोटिस देकर उसकी पूर्वानुमति से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकता है। उन मामलों में जहां अनुमति देने से इंकार कर दिया जाता है, कार्पोरेशन एक उपयुक्त समय के भीतर संबंधित कर्मचारी को उसके कारणों की सूचना देंगे।

16. भवि-य निधि

जो भी कर्मचारी कार्पोरेशन की सेवा में नियुक्त किया जाता है वह स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कर्मचारी भवि-य निधि का इस विनय के नियमों के अनुसार सदस्य हो जाएगा।

17. सेवा-अभिलेख

- (क) कार्पोरेशन द्वारा इसके मुख्यालय में श्रेणी - I और श्रेणी-II के कर्मचारियों के मामले में निर्धारित उपयुक्त रूप में एक सेवा पंजिका रखेगा। इस पंजिका में इस प्रकार के सभी कर्मचारियों का नाम क्रम में, उनके द्वारा संभाले गए पद, उनके पद जिन पर वेतन ले रहे हैं तथा अगली वेतनवृद्धि की तारीख, जन्म की तारीख, समय-समय पर लिये जाने वाले अवकाशों की संख्या तथा अवकाश से लौटने पर कार्पोरेशन में पद संभालने की तारीख आदि होंगे।
- (ख) उन कर्मचारियों के अलावा, जिनके लिये सेवा पंजिका सर्विस रजिस्टर रखा जाता है, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक सर्विस बुक रखी जाएगी।
- (ग) कर्मचारी के कार्यालय की प्रत्येक गतिविधि सर्विस बुक या सर्विस रजिस्टर में रिकार्ड की जानी चाहिए दूसरे मामले में, इस प्रकार की प्रविन्टि कार्यालय प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई ओवर-राइटिंग न हो न ही कुछ मिटाया गया हो।

18. आचरण और अनुशासन

सभी कर्मचारी समय-समय पर निर्देशित स्थानों पर अच्छी क्षमता से व्यापार में कार्पोरेशन की सेवा करेंगे। चौथे वर्ग के कर्मचारी सामान्यतः एक विशि-ट स्थल पर ही कार्य करेंगे।

19. कर्मचारी कुशलता, ईमानदारी, नि-ठा और विश्वास के साथ कार्पोरेशन में कार्य करेगा तथा कार्पोरेशन और इसके विधानों के बारे में कड़ाई से गोपनीयता बनाए रखेगा। प्रत्येक कर्मचारी कार्पोरेशन का पूर्णकालिक सेवक है और बिना किसी अतिरिक्त परिलक्ष्य के दावे के निर्देशित होने की स्थिति में भी उसे कार्य करना पड़ सकता है। वह कार्पोरेशन के हित को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। कोई भी कर्मचारी राजनीति में या राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग नहीं लेगा।

20. कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऊटी से अनुपस्थित नहीं होगा। न ही वह बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा छुट्टी की अवधि के लिए जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा विधिवत समर्थित तत्काल रिपोर्ट दिए बिना ऊटी से अनुपस्थित हो। वह अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी के निर्णय का पालन करेगा। कोई कर्मचारी अपने तत्काल वस्ति अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वह स्टेशन नहीं छोड़ेगा जहां वह तैनात है।

बशर्ते कि अस्थायी अस्वस्थता के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जोर न डाला जाए।

21. कार्पोरेशन की सेवा में रहते हुए कर्मचारियों का आचरण एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन, अपील) नियम, 1975 के प्रावधानों द्वारा संचालित होगा।

22. अन्य नियमों का प्रयोग

ऐसे नियम जो संदर्भ में नहीं है किन्तु कार्पोरेशन में समय-समय पर लागू होते हैं, कर्मचारी पर लागू होंगे।

23. दण्ड

अनुशासन और तत्संबंधी सेवा शर्तों के पालन में जिनके असफल होने पर सेवा विनियमों के अधीन कर्मचारी एसटीसी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों में दिए गए दण्ड का भागी होगा।

24. सामान्य

- क) बोर्ड लिखित में दर्ज किए गए कारणों पर किसी भी कर्मचारी के संबंध में इन नियमों में से किसी के भी प्रचालन को रद्द या संशोधित कर सकता है।
- ख) जब भी इनमें से किसी भी नियम के अर्थ या लागू होने के बारे में संदेह होगा तो वहां पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा जिसे मानना होगा।
- ग) कार्पोरेशन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित जो मामले इन नियमों या बोर्ड के विशि-ट निर्णयों के अंतर्गत नहीं आते हैं वहाँ भारत सरकार के मूलभूत अधिकारों व अनुपूरक नियमों में निर्धारित नियम व पदवियां व भारत सरकार के आदेश व निर्णय तथा उनके अधीन लेखा परीक्षा अनुदेश लागू होंगे।
- घ) इन नियमों में कोई भी परिवर्तन या कुछ नया तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक उसे बोर्ड के संकल्प से पारित नहीं कर दिया जाता।

25. निरस्तीकरण व प्रतिबंध

1. लागू नियमों के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कोई भी नियम एतद्वारा निरस्त हो सकता है बशर्ते इस प्रकार निरस्त किए गए नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई हो।
2. इन नियमों के लागू होने से पहले कार्पोरेशन द्वारा की गई कार्रवाइयाँ इन नियमों के अधीन की गई मानी जायेगी तथा कार्पोरेशन के सभी वर्तमान कर्मचारी इन नियमों के द्वारा संचालित होंगे।

संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	प्राधिकारी
1.	नियम 7 - चयन समिति की संरचना	2.8.68 को हुई निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त (मद संख्या 16)
2.	नियम 7- श्रेणी iv के पदों हेतु चयन समिति की संरचना में आगे संशोधन	28.1.69 (मद संख्या 15) को हुई निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त
3.	नियम 7- प्रबंधन व स्टाफ पदों हेतु चयन समिति की संरचना में आगे संशोधन	17.5.69 (मद संख्या 11) को हुई निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त
4.	नियम 7 (ii) के अधीन "नोट" शामिल	4.7.1969 को हुई निदेशक मण्डल की बैठक (मद संख्या ii) का कार्यवृत्त ।
5.	इन - कार्पोरेशन - नियम 13 ए	31.5.1975 को हुई निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त
6.	नियम 13 - खण्ड (i)में प्रावधान जोड़ा गया	18.9.1979 को हुई निदेशक मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त
7.	नियम 14 - के अंत में नियम 14 प्रावधान जोड़ा गया ।	वही
8.	नियम 14 पैरा 1 के स्थान पर पैरा (क) और (ख) रखा गया जिसमें सेवानिवृत्ति की बैठक का कार्यवृत्त की तारीख 58 से 60 वर्ष की गयी ।	29.5.98 को हुई निदेशक मंडल
9.	सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी	28.07.2009 को हुई निदेशक

वाणिज्यिक संगठनों में नियुक्ति पाने मंडल की 558वीं बैठक के वाले उच्च स्तर के अधिकारियों पर कार्यवृत्त प्रतिबंध से संबंधित नियम, नियम 14 (1 से 3) के रूप में अपनाया गया और वर्तमान नियम सं. 14 से 24, नियम 15 से 25 के रूप में क्रम संख्या दिये गए।

-
10. नियम 14.3 बांड की राश रु. 3.50 02.02.2011 को हुई निदेशक लाख पर सुनिश्चित की गई मंडल की 568वीं बैठक के कार्यवृत्त।
-

एसटीसी के नियम और शर्तें